

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-30122021-232271
SG-DL-E-30122021-232271

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 339
No. 411]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSA 9, 1943	[N. C. T. D. No. 339

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

सं. F. 6(100)/आईटी/2020/खंड-IV/5124.—दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) अधिनियम, 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 07) की धारा 3 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सरकार की दिनांक 21 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या एफ.6(100)/आईटी/2011/1304-1313, दिनांक 13 दिसंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या एफ.6(100)/आईटी/2011/5950-63 तथा दिनांक 13 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या एफ.6(100)/आईटी /2014/7319-7353, दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या एफ.6(524)/आईटी /2020/4046, 22 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या एफ.6(524)/ आईटी /2020/खंड.-I/4928 तथा दिनांक 27 दिसंबर, 2021 की उत्तरवर्ती अधिसूचना संख्या एफ.6(524)/आईटी/2021/खंड.-IV/5041 के अनुक्रम में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा पूर्वोक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नानुसार संशोधन करते हैं , अर्थात्-

1. दिल्ली नागरिक (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ अधिकार) अधिनियम, 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 07) की अनुसूची में, प्रविष्टि 564 के पश्चात नागरिकों से संबंधित सेवाओं की निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	सेवा का नाम	आवदेन प्राप्ति के बाद सेवा वितरण के लिए दिनों की संख्या	विभाग/संगठन
565	नई सहकारी समिति का पंजीकरण	90 कार्य दिवस	पंजीयक सहकारी समितियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
संजय कुमार सूर्या, उप-सचिव (आईटी)

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 30th December, 2021

No. F. 6(100)/IT/2020/Vol.IV/5124.—In exercise of the powers conferred by proviso to section 3 of the Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 (Delhi Act 07 of 2011) and in continuation of this Government's Notification No. F. 6(100)/IT/2011/1304-1313 dated the 21st February, 2012; Notification No. F. 6(100)/IT/2011/5950-63 dated 13th December, 2012; Notification No. F. 6(100)/IT/2014/7319-7353 dated 13th August, 2014; Notification No. F. 6(524)/IT/2020/4046 dated 04 October 2021; Notification No. F.6(524)/I.T./2020/Vol.-I/4928 dated 22nd December, 2021 and subsequent Notification No. F. 6(524)/I.T./2021/Vol.-IV/5041 dated 27th December, 2021, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, amends the Schedule appended to the aforesaid Act, as under, namely-

1. In the Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 (Delhi Act 07 of 2011), after entry 564, the following entry related to Citizen related Service shall be added, namely: -

S.No.	Name of Service	Number of Days for Service Delivery after Receipt of Application	Department/Organization
565	Registration of new Cooperative Society	90 working days	Registrar of Cooperative Societies

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,
SANJAY KUMAR SURYA, Dy. Secy. (IT)